पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा श्री केदारनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत में प्रशासनिक कार्यालय व अस्पताल भवन निर्माण कार्य (Rural Electrification Corporation Limited) की योजना के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03 सितम्बर, 2020 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 03 सितम्बर, 2020 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थेः–

1. श्री हरबंस सिंह चुघ, सचिव, नियोजन विभाग(लिंक अधिकारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री दिलीप जावलकर, सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्रीमती सौजन्या, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री हरिओम शर्मा, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. श्री श्याम सिंह चौहान, संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री डी0डी0 डालोकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री मुकेश परमार, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर, उत्तराखण्ड।
9. श्री परवीन कण्डवाल, अधिशासी अभियन्ता, डी0डी0एम0ए0 / लोक निर्माण विभाग, गुप्तकाशी, उत्तराखण्ड।
10. श्री जितेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक, गढवाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
11. श्री दिनेश वर्मा, सहायक अभियन्ता, टी0ए0सी0 नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।

1. **परियोजना की आवश्यकता एवं औचित्य** :– श्री केदारनाथ धाम परिक्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मास्टर प्लान के अनुरूप पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना एवं पुनर्विकास कार्यो के क्रियान्वयन से सम्पूर्ण केदारपुरी को भव्यता प्रदान किये जाने हेतु विभिन्न कार्य प्रस्तावित किये गये है। इन्ही के अन्तर्गत श्री केदारनाथ परिसर में एक प्रशासनिक भवन तथा चिकित्सालय का निर्माण प्रस्तावित किया गया है, ताकि बाबा केदार के दर्शनार्थियों को यात्रा के दौरान बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ करायी जा सके।

2. **परियोजना प्राविधान** :– योजना में प्रशासनिक कार्यालय भवन जी + 3 में 1055 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रस्तावित है। भूतल में स्वागत कक्ष, लाउन्ज, Cafetria and Canteen प्रथम तल में दो दर्शनी हॉल, द्वितीय तल में प्रशासनिक Conference Hall तथा Executive Staff Room तथा तृतीय तल में विभिन्न विभागों के अधिकारियों हेतु कक्ष प्रस्तावित किये गये है।

चिकित्सालय भवन जी + 3 में 1745 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्माण प्रस्तावित है। भवन के भूतल में 02 OPD Room, Waiting Area, High Compression Chambers, Emergency Room, Pharmacy Store with waiting area का कार्य प्रस्तावित है। **प्रथम तल में** Minor OT, 03 Bed का ICU, 10 Bed का ward प्रस्तावित है। **द्वितीय तल** में Female Dorimory 6 Beds and Male Dormitory with 6 Beds का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार अस्पताल में कुल 25 बैड के साथ उपचार की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। **तृतीय तल** में Doctors Room with attached toilet 04 Nos., Multifunctional room with toilet and Specialist Doctor accommodation 03 nos. का प्राविधान किया गया है।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

Gant 14.09.2020

3. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :—**

- श्री केदारनाथ धाम पुनर्स्थापना एवं पुर्नगठन के सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्य CSR (Corporate social responsibility) के अन्तर्गत प्रस्तावित किये गये है। परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पी0एस0यू0 Rural Electrification Corporation द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्रस्तावित है।
- परियोजना प्रशासकीय विभाग की विभागीय समिति की दिनांक 28.08.2020 को आहूत बैठक में अनुमोदित है तथा व्यय वित्त समिति प्रस्तुतिकरण की संस्तुति की गयी है।
- योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय भार वहन नहीं किया जाना है। वित्त अनुभाग—1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—474 दिनांक 01 अगस्त, 2019 में निहित प्राविधानों में यह भी व्यवस्था है कि विशेष परिस्थिति में कोई भी प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है यहां यह उल्लेखनीय है कि व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त यह राज्य सरकार का दायित्व न हो, प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि सभी संस्थायें कार्य पूर्ण होने तक समय पर धन उपलब्ध कराते रहें।
- प्रस्तावित योजना हेतु भूमि उपलब्ध है। पर्यटन विभाग के स्वामित्व वाली भूमि पर, वर्तमान पर्यटक आवास गृह के भवन के ध्वस्तीकरण के उपरान्त/राजकीय भूमि के कुछ भाग में प्रशासनिक कार्यालय व चिकित्सालय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित निर्माण हेतु जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग की संस्तुति/सहमति प्राप्त कर प्रस्तुत कर दी गयी है।
- कार्य स्थल की मिट्‌टी की सेफ बियरिंग कैपेसिटी 27 सितम्बर, 2014 से 02 अक्टूबर, 2015 के मध्य तत्समय प्रस्तावित कार्यो हेतु कराये गये परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 10 टन प्रति वर्ग मीटर ली गयी है इसी के आधार पर भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन किया गया है।
- प्रस्तावित संरचनाओं की स्ट्रक्चरल डिजायन एवं ड्रॉइंग उपलब्ध हैं, जिसके अन्तर्गत Design Criteria तथा परिकल्पन की गणनायें उल्लेखित हैं, लेकिन ड्राइंग एवं डिजाइन किसी मानक संस्थान से वैट नहीं कराया गया है।

4. **लागत का विश्लेषण—** प्रस्तुत योजना में मदवार लागत विश्लेषण निम्न तालिका अनुसार है :—

(धनराशि रू0 लाख में)

S.No.	Description	Scheduled (DSR) Items	SOR Items	Non Scheduled Items
1	Civil work for admin office	355.62	115.02	6.98
2	Civil work for hospital	764.30	194.84	9.55
3	Electric work for admin & hospital	78.30	-	132.32
4	Plumbing / Drainage work	14.36	-	159.82
5	HVAC work for hospital	-	-	14.20
	Total	**1212.58**	**309.86**	**322.87**
	Work contingencies	48.50	12.39	12.91
	Total	**1261.08**	**322.25**	**335.78**
	Add GST 12%	-	37.18	-
	Add 7.5% O&M for 5 years	-	-	28.86
	Add vetting charges @ 0.75%	-	-	13.97
	Total	**1261.08**	**359.43**	**378.61**
	Say in Lakh		**1999.12**	

परियोजना की कुल लागत :— रू0 1999.12 लाख

क्रमशः पृष्ठ—3/—

Pant
14.09.2020

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :—**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, चर्चा के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार—4 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश—4 में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 1999.12 लाख** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :—

5.1 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.2 निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत—प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

5.3 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री तथा अन्य कार्यो मदों की गुणवत्ता का समय—समय पर एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

5.4 योजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियोजन विभाग को कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अवश्य संसूचित किया जाय ताकि निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें।

5.5 निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधानित कार्यो की स्ट्रक्चरल ड्राइंग एवं डिजाइन जिसमें श्री केदारनाथ परिसर के उच्च हिमालयी एवं भूकम्प की दृष्टि से अतिसंवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए मानक संस्थान से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आवश्यक मदों का ही समावेश किया जाय।

5.6 आगणन में डी0एस0आर0 2018 की दरें ली गई है तथा मजदूरी की दरें डी0डी0एम0ए0, रूद्रप्रयाग द्वारा श्री केदारनाथ क्षेत्र हेतु निर्धारित दरों के आधार पर ली गयी है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.7 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1—5.7 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष /सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंव विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेगें, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित करने की प्रवृत्ति को रोका जा सकें।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

Gant
14.09.2020

क्रमशः पृष्ठ—4/—

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

14.09.2020

ओम प्रकाश
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्याः 963 /616/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/लो0नि0वि0/2020–21
देहरादूनः दिनांकः 17 सितम्बर, 2020

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव